

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 18/2016

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोंडेन्ट :-
रमेश कुमार पुत्र जेठाराम जी भाट निवासी धानता, तह. सांचौर जिला जालौर		राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार सांचौर, जिला जालौर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोंडेन्ट की ओर से



:- निर्णय :-

दिनांक:- 25.03.2019

अपीलान्त की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर जालौर द्वारा प्रकरण संख्या 21/2016 में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2016 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार सांचौर के समक्ष पटवारी हल्का अरणाय द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा ग्राम धानता के खसरा नंबर 1346/1083, व खसरा नंबर 1083 रकबा क्रमशः 0.005 हैक्टर, 0.005 हैक्टर गैर मुमकिन स्कूल मैदान की भूमि पर सवंत 2072 से अवैध अतिक्रमण कर सीमेंट पतरे की आरडी मय दीवार व बाड़ा व लकड़ी का केबिन बना दिया है। इस रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए 50 रुपये शास्ति के आदेश प्रदान किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। जिसके विरुद्ध अपीलाण्ट द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे जिला कलक्टर जालौर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.07.2016 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट का पुश्तैनी कब्जा है। जिसके संबंध में वरिष्ठ न्यायालय व.ख. जालौर में प्रकरण चल रहा है। वादग्रस्त आराजी आबादी से लगती हुई भूमि है शिक्षा विभाग द्वारा एलोटमेंट के बाबत नाप कर बाउन्डी बनाई हुई है। उक्त आराजी से स्कूल का

राजस्थान राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कोई लेना देना नहीं है। राजनैतिक कारणों से केवल अपीलांट को परेशान करने हेतु उक्त प्रकरण बनाया गया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये जैर अपील निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में अगर अपीलांट को बेदखल किया जाता है तो इससे अपीलांट के पैसों की हानि होगी। साथ ही अपीलांट को वादग्रस्त आराजी के संबंध में नियमन/पट्टा भी दिलाया जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त किया जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम धानता के खसरा नंबर 1346/1083, व खसरा नंबर 1083 रकबा क्रमशः 0.005 हैक्टर, 0.005 हैक्टर गैर मुमकिन स्कूल मैदान राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से सीमेंट पतरे की आरडी मय दीवार व बाड़ा व लकड़ी का केबिन बनाने के कारण पटवारी हल्का द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में नायब तहसीलदार सांचौर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरुद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करते हुए जुर्माना आरोपित किया, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावें।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम धानता के खसरा नंबर 1346/1083, व खसरा नंबर 1083 रकबा क्रमशः 0.005 हैक्टर, 0.005 हैक्टर गैर मुमकिन स्कूल मैदान पर सीमेंट पतरे की आरडी मय दीवार व बाड़ा व लकड़ी का केबिन बनाने के कारण पटवारी हल्का अरणाय द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में नायब तहसीलदार सांचौर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरुद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 11.04.2016 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलांट द्वारा स्वयं तामिल प्राप्त हुए। इसके पश्चात दिनांक 11.04.2016 को अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तथा अतिक्रमण करना स्वीकार किया। इस पर नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा अपीलाण्ट के विरुद्ध आदेश बेदखली पारित करते हुए जुर्माना आरोपित किया। हस्तगत प्रकरण में वादस्थ भूमि कि गैर मुमकिन स्कूल मैदान है, जो कॉमन लैण्ड की श्रेणी में शुमार है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त उक्त किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। जहां तक आवंटन/नियमन का प्रश्न है, तो इस हेतु नियमों में पृथक से प्रावधान उपलब्ध है, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की कोई प्रार्थना की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के

राजस्व अपील प्राधिकारी
माली

पेज संख्या 03

संलग्न है तथा न ही इस अपील के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 03/2016 में नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.04.2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, जालोर द्वारा राजस्व अपील संख्या 21/2016 में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2016 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अस्थायी) राजस्व अपील अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी, पाली